2019/00186

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी/अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री तुषार पुरोहित पुत्र श्री बादूराम पुरोहित<br>जाति पुरोहित<br>निवासी वाटेरा<br>तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही | | लोक सूचना अधिकारी<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>सिरोही |

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 11 वर्ष 2019

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.07.2019 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 21.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जेके लक्ष्मी सीमेंट उद्योग इकाई व आवासीय कॉलोनी बसावट के लिए आवंटित कुल भूमि का रकबा मय खसरा नम्बर , भूमि कब आवंटित हुई व कितने समय के लिए हुई व इस भूमि का लीज आवंटन कब खत्म होने जा रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट उद्योग इकाई को आवश्यक पानी की सप्लाई वर्तमान में कहां से की जा रही है एवं इस औधोगिक इकाई में कुल कितने ट्यूबवेल खुदे हुए है व कब खोदे गये गए इन सभी की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 21.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जेके लक्ष्मी सीमेंट उद्योग इकाई व आवासीय कॉलोनी बसावट के लिए आवंटित कुल भूमि का रकबा मय खसरा नम्बर , भूमि कब आवंटित हुई व कितने समय के लिए हुई व इस भूमि का लीज आवंटन कब खत्म होने जा रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट उद्योग इकाई को आवश्यक पानी की सप्लाई वर्तमान में कहां से की जा रही है एवं इस औधोगिक इकाई में कुल कितने ट्यूबवेल खुदे हुए है व कब खोदे गये गए इन सभी की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अपीलांट द्वारा मांगी गयी सूचना प्रश्न उत्तर से संबंधित है । अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वह लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कराकर पत्रावली देखकर उन्हे सूचित करे कि पत्रावली के किस किस पेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे चाहिये । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br>(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Scanned by CamScanner